न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 110/2025 बउनवानी हेमा मीना बनाम अति0जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी निवासी महूँकलां तहसील गंगापुर सिटी

GCMS No-2025/ 227

Appeal Number- 321450532419324

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	
3.9.2025	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत ऑन लाईन पोर्टल के माध्यम से दिनांक 21.7.2025 को लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर "*गंगापुर सिटी के केलम, डी.एस., कट्टू स्कूल,गायत्री पब्लिक, प्रज्ञा एकेडमी के डीआरएस स्कूल एकेडमी के सभी 2023 से जून,2025 तक का सरकार को दिये गये टैक्स, इन संस्थानो में कार्यरत शिक्षको के नाम वेतन भत्तो, एवं प्राईवेट कबाडी के गोदाम मे मिले बिजली विभाग के सरकारी सामानो की जॉच हेतु गठित कमेटी के सदस्यो के नाम,पदनाम, लगाये गये डीपी टेंडर प्रकिया , गंगापुर सिटी जिला शिक्षा अधिकारी के समस्त कार्मिको की पदनाम व कार्यस्थल की सत्यापित प्रति " अति0 जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी* से दिलाये जाने बावत निवेदन किया था किन्तु संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में अपीलान्ट को चाही गयी सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है, जिसके कारण अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 की धारा 19(1)के तहत ऑन लाईन पोर्टल पर प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रेषित की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु पोर्टल के माध्यम से ही आदेशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी के पत्रांक/आरटीआई /2025/812–13 दिनांक 28.8.2025 से अवगत करवाया कि अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र दिनांक 21.7.2025 मे चाही गयी सूचना का संबंध ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं सहायक अभियंता जयपुर विधुत वितरण निगम लिमिटेड गंगापुर सिटी है जो अधिनियम की धारा 6(3) के तहत संबंधित लोक सूचना अधिकारी को अन्तरित किया जाना था किन्तु तकनिकी कारण से उक्त प्रार्थना तत्समय संबंधित विभाग को अन्तरित नही किया है जो अब जरिये पत्रांक 811 दिनांक 28.8.2025 से संबंधित विभाग को ऑफ लाईन अंतरित किया जाकर अपीलान्ट को सूचना उपलब्ध करवाने बाबत लिखा जाकर अपीलान्ट को सूचित किया जा चुका है कि संबंधित लोक सूचना अधिकारी के कार्यालय से सूचना प्राप्त करे । पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है,कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 21.7.2025 को प्रेषित प्रार्थना पत्र मे चाही गयी सूचना का संबंध ब्लॉक जिला शिक्षा अधिकारी एवं सहायक अभियंता जयपुर विधुत वितरण निगग लि0 गंगापुर सिटी से होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 28.8.2025 को अन्तरित कर प्रार्थी को सूचित किया गया है किन्तु लोक सूचना अधिकारी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र को ऑन लाईन पोर्टल के माध्यम से ही अधिनियम की धारा 6(3) के तहत तत्समय ही अन्तरित किया जाना चाहिए था जो नही किया गया है जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि लोक सूचना अधिकारी आरटीआई पोर्टल के प्रति सजग नही है। अतः लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में आरटीआई पोर्टल अपडेट रखा जावे एवं पोर्टल के माध्यम से प्राप्त होने वाले आरटीआई प्रार्थना पत्रो का नियत समयावधि मे निस्तारण किया जावे। अपीलान्ट को निर्देशित किया जाता है कि संबंधित लोक सूचना अधिकारी के कार्यालय से सूचना प्राप्त करे। उक्त निर्देश के साथ अपील अपीलान्ट [illegible] रण किया जाताहै। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बा[illegible] जावे। आज्ञा सुनायी गयी। Signature Not Verified Digitally signed by Kana Ram Date: 2025.10.21 15:35:27 IST Reason: SelfAttested (काना राम) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर	

Scanned with OKEN Scanner